

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुक्तकिली प्रकरण संख्या 24/2025 (GCMS : 2025/ 29)

1. बलवन्त सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जटसिख निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्योराम, उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर
2. सतिन्द्र कौर बराड़ पत्नी स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 1452772 अवेन्यु, सुरे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा जरिये मुखत्यारेआम राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब
3. यादविन्द्र सिंह बराड़ पुत्र स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 1452772 अवेन्यु, सुरे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा जरिये मुखत्यारेआम राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब
4. कमलदीप कौर पूत्री स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख, निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 1452772 अवेन्यु, सुरे, बी.सी., वी. 2 एस 2 ई 6 कनाड़ा जरिये मुखत्यारेआम राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब

23.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अनवानी सतिन्द्र कौर वगै. बनाम बलवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए एक्ट का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 24.01.2025 निश्चित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 2 एस तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 18/2 में 0.152 हैक्टेयर किला नं. 19 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.253 हैक्टेयर कुल 0.658 हैक्टेयर नहरी तथा मुरब्बा नं. 31 के किला नम्बर 1 के 0.228 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि, किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक के 0.253 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि इस प्रकार कुल 1.771 हैक्टेयर + 0.658 हैक्टेयर = 2.429 हैक्टेयर नहरी मय खाला रकबा का खाता अलग से तकसीम किये जाने के लिए पेश किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले है, जिनका स्थानीय क्षेत्र में काफी राजनैतिक दबाव व प्रभाव है, इसी राजनैतिक दबाव व प्रभाव से ही अप्रार्थीगण उक्त वाद को अपने पक्ष मे निर्णित करवाने

हेतु पीठासीन अधिकारी/अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बना रहे है और अप्रार्थी संख्या 01 भी इनके राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रूचि ले रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से इंसाफ की उम्मीन नहीं है और प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त अनवानी पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल हेतु प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ऐलानियां कह रहे है कि हमारी साहब से बातचीत हो गयी है इस दावे का निर्णय हमारे हम में ही करेंगे। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही होने के कारण न्यायहित में उनके प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष मिठा ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान अधीनस्थ अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के विधिसम्मत आदेश दिये गये है, जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण ने पूर्व में भी श्रीमान् न्यायालय में मुंतकिली प्रार्थना पत्र संख्या 105/2024 पेश किया था, जिसमें श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 28.04.2025 को निर्णय पारित कर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में देरी करना चाहते है और निर्णय पारित करने में बाधा उत्पन्न कर अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है। जबकि अप्रार्थीगण वर्तमान में भारत से अन्यत्र निवास कर रहे है और उनका पीठासीन अधिकारी पर किसी का कोई राजनैतिक दबाव भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 13.02.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 233/2023 अनवानी सतिन्द्र कौर बराड़ वगै. बनाम बलवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 53 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विवाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही?

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रुचि ले रहे हैं, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। राजनैतिक दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कमी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

Transfer of case : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए' को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर